प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, एन.एस.एस.ओ. व अन्य

बनाम

विश्व भूषण नंदी

(सिविल अपील सं. 5304/2008)

29 अगस्त, 2008

**[एस. बी. सिन्हा और सिरियाक जोसेफ, जेजे.]**

सेवा कानून-नियुक्ति-स्नातक की योग्यता केंद्र सरकार के समूह सी पद के लिए तकनीकी व पेशेवर अनुभव की आवश्यकता नहीं है। मैट्रिक्यूलेट पूर्व सैनिक के लिए पेशेवर अनुभव में छूट 15 साल की रक्षा सेवा वाले सैनिक-उम्मीदवार-पूर्व सैनिकों ने पद के लिए आवेदन किया और अर्हता प्राप्त की, लेकिन नियुक्ति अस्वीकार की- केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अस्वीकार को बरकरार रखा- उच्च न्यायालय ने उसे नियुक्ति के लिए योग्य ठहराया-नियोक्ता को उसे इस पद पर समायोजित करने का निर्देश या वैकल्पिक उपयुक्त पद समय सीमा के भीतर-नियोक्ता उम्मीदवार को समायोजित करने के लिए अदालत को आश्वासन के साथ समय बढ़ाने की मांग कर रहा है - अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः उत्कीर्ण अपवादों को ध्यान में रखते हुए, पात्रता खंड और तब से पद गैर-तकनीकी है, नियोक्ता को अदालत को दिए गए आश्वासन से बाहर आने की

अनुमति नहीं दी जा सकती है-पूर्व सैनिक (पुनः केंद्रीय सिविल सेवा और पदों में रोजगार) नियम, **1979** – आर.6।

अधिसूचना द्वारा, मैट्रिक्यूलेट पास करने वाले पूर्व सैनिक 15 साल की रक्षा सेवा के साथ योग्यता प्राप्त की गई थी, केंद्र में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र सरकारी समूह-सी पद जिसके लिए आवश्यक योग्यता स्नातक थी और जहां तकनीकी या पेशेवर अनुभव आवश्यक नहीं था। अपीलकर्ता के द्वारा डाटा एंट्री ओपरेटर पद ग्रेड बी के लिए रिक्तियों की अधिसूचना जारी की गइ। प्रत्यर्थी जो मैट्रिक पास था और 15 साल की रक्षा सेवा के बाद, उसी के लिए आवेदन किया। उसने लिखित और मौखिक परीक्षा में योग्यता प्राप्त की, लेकिन नियुक्ति से इनकार कर दिया गया। उनके आवेदन को चुनौती देते हुए नियुक्ति से इनकार करने के आदेश को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने खारिज कर दिया था और अभिनिर्धारित किया कि चूंकि अधिसूचित पद की आवश्यकता स्नातक सरलीकरण नहीं थी, लेकिन गणित या सांख्यिकी के साथ है प्रत्यर्थी को नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जा सका। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और अपीलार्थी को प्रत्यर्थी को समायोजित करने का निर्देश दिया उस पद के लिए जिसके लिए उसने आवेदन किया था या निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी उपयुक्त वैकल्पिक पद पर। अपीलार्थी ने न्यायालय को यह आश्वासन देकर कि वे न्यायालय के

आदेश की पालना करेंगे और प्रत्यर्थी को समायोजित किया जाएगा। उच्च न्यायालय से समय के इस तरह के विस्तार की मांग की गई थी जबकि वे इसके आदेश को चुनौती देते हुए इस न्यायालय में पहुंच चुके थे।

**याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया :**

**1.1 सभी इरादे और उद्देश्य के लिए, एक आश्वासन उच्च न्यायालय को दिया गया था कि उसके आदेश का पालन किया जाएगा। किया गया वचन पूर्ण तथा स्पष्ट था। यह संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए एक उचित मामला नहीं है। उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन दायर करना स्वयं अपीलार्थी के लिए विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने के लिए बाधा नहीं होगी लेकिन इस मामले में विशेष अनुमति याचिका दायर करने के बावजूद उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया गया था कि प्रत्यर्थी को समायोजित किया जाएगा। [पैरा 14,15] [1068, बी-सी; 1067, जी-एच; 1068, ए]**

**1.2 बनाए गए अपवादों को ध्यान में रखते हुए, पात्रता खंड और चूंकि पद गैर-तकनीकी प्रकृति का है और इस प्रकार, तकनीकी पक्ष पर किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं थी, अपीलार्थी को उच्च न्यायालय के समक्ष उसके द्वारा किया गया अभ्यावेदन से बाहर आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अपीलार्थी ने कहीं भी यह रुख नहीं अपनाया कि प्रत्यर्थी**

**को कुछ प्रशिक्षण दिए जाने के बाद भी प्रत्यर्थी डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी में प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होगा। अपीलकर्ता का यह भी कहना नहीं है कि उसने प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल भर्ती आवेदन को सत्यापित करने में कोई गलती की है। उसे न केवल लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई बल्कि साक्षात्कार में भी शामिल होने की अनुमति दी गई। [पैरा 13,15] [1068, ए-बी; 1067, ई-जी]**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 5304/2008।

कलकत्ता उच्च न्यायालय की डबल्यू.पी.सी.टी सं. 215/2005 के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 20.06.2005 और 31.08.2005 से।

अपीलार्थियों की ओर से वी. शेखर, शालिनी कुमार, डी.एस. माहरा और बी. कृष्ण प्रसाद।

प्रत्यर्थीयों की ओर से रजनाज मुखर्जी और एस.सी. गोयल।

न्यायालय का निर्णय **एस. बी. सिन्हा**, जे. द्वारा दिया गया-

1. अनुमति दी गई।

2. प्रत्यर्थी 22.2.1978 को भारतीय वायु सेना में शामिल हुआ। उसने 28.2.1993 तक उक्त संगठन में काम करते हुए 15 वर्षों से अधिक की सेवा प्रदान की।

3. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 12.2.1986 को एक अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार, वे उम्मीदवार जो मैट्रिक पास थे और जिन्होंने सशस्त्र बलों आदि में कम से कम 15 वर्ष की सेवा की हो, उन्हें किसी भी समूह में नियुक्ति के लिए विचार किया जाना था - सी पद जिसके लिए आवश्यक योग्यता स्नातक है और जहां तकनीकी या व्यावसायिक प्रकृति में अनुभव आवश्यक नहीं है।

4. यहां अपीलकर्ता-राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन भारत सरकार के सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत स्थापित है। इसके कर्मचारियों की सेवा शर्तें भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 से जुड़े परंतुक के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती हैं। उक्त अधिसूचना के अनुसार, भूतपूर्व सैनिक (केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुनः रोजगार) नियम, 1979 में संशोधन किया गया था।

उक्त नियमों के नियम 6 में, उप-नियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम जोड़े गए:

> "(4) समूह 'सी' पदों में किसी भी आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए, एक मैट्रिक पास भूतपूर्व सैनिक (जिसमें ऐसे भूतपूर्व सैनिक शामिल हैं जिन्होंने भारतीय सेना से शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौसेना या वायु सेना में संबंधित प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो), जिसने संघ के सशस्त्र

बलों में कम से कम 15 वर्ष की सेवा की हो, को उन पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र माना जा सकता है जिनके लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता स्नातक है और जहां,-

(ए) तकनीकी या व्यावसायिक प्रकृति का कार्य अनुभव आवश्यक नहीं है; या

(बी) हालांकि गैर-तकनीकी पेशे का कार्य अनुभव आवश्यक के रूप में निर्धारित किया गया है, फिर भी नियुक्ति प्राधिकारी संतुष्ट है कि पूर्व सैनिक से छोटी अवधि के लिए नौकरी प्रशिक्षण प्राप्त करके पद के कर्तव्यों का पालन करने की उम्मीद की जाती है।"

नियम 6 के बाद, निम्नलिखित नियम जोड़ा गयाः

"6-ए. चयन के लिए निम्न मानक:— सीधी भर्ती के मामले में, यदि पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानक के आधार पर पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो पूर्व सैनिकों की श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार- आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए चयन के एक शिथिल मानक के तहत सैनिकों का चयन किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसी छूट ऐसे उम्मीदवारों के प्रदर्शन के स्तर को प्रभावित नहीं करेगी।"

5. अपीलकर्ता संगठन ने डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड बी के पद के लिए 56 रिक्तियों को भरने के लिए एक अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार प्रत्यर्थी ने भी आवेदन किया। उसे लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गयी. उसका साक्षात्कार भी लिया गया।

हालाँकि, 12.2.1996 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था जिसके तहत उसे नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था।

6. प्रत्यर्थी द्वारा उक्त आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष एक मूल आवेदन दायर किया गया।

अधिकरण ने दिनांक 15.7.2003 के एक निर्णय और आदेश के आधार पर उक्त आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया:

> "हमें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा पारित एक अधिसूचना से अवगत कराया गया है। उक्त अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब एक रक्षा कर्मी ने 15 साल की सेवा पूरी कर ली है तो उसे उस पद पर नियोजित करने पर विचार किया जा सकता है जहां स्नातक योग्यता निर्धारित है। जहां तक उसके रोजगार का सवाल है, जहां योग्यता स्नातक निर्धारित की गई है, तो आवेदक पर निस्संदेह विचार किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान मामले में प्रत्यर्थीगण ने गणित या सांख्यिकी में से एक विषय के

> रूप में स्नातक की योग्यता निर्धारित की है। अधिसूचना में यह विज्ञापित किया गया था कि गणित या सांख्यिकी के साथ स्नातक योग्यता रखने वाले व्यक्ति पर विचार किया जाएगा, लेकिन आवेदक के पास कोई भी योग्यता नहीं थी इसलिए, प्रत्यर्थीगण पर डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए आवेदक के आवेदन पर विचार नही करने के लिए दोष नहीं पाया जा सका।"

7. इससे व्यथित और असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। आक्षेपित निर्णय के कारण, उक्त रिट याचिका को उक्त न्यायालय की एक खंडपीठ ने यह कहते हुए स्वीकार की गयी:

> "यहाँ वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को इस तरह की लिखित परीक्षा के साथ-साथ मौखिक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी और, स्वीकृत रूप से वह दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस महत्वपूर्ण पहलू पर अधिकरण द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है, जिसे डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में भर्ती करने के लिए आवश्यक योग्यता की व्याख्या करने में तकनीकीताओं द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता

कि याचिकाकर्ता को लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के मद्देनजर उचित उम्मीद थी। इसलिए, सवाल यह है कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने से इनकार करना कहां तक उचित था कि अधिसूचना दिनांक 12.2.1986 से उसे स्नातक की योग्यता रखने वाले लोगों के बराबर ला दिया, लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर भर्ती के लिए आवश्यक विशिष्ट योग्यता के मद्देनजर, वर्तमान याचिकाकर्ता का कोई दावा नहीं हो सका। वर्तमान मामले की विशिष्ट पृष्ठभूमि में, जैसा कि यहां पहले बताया गया है, हमें इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल लगता है। यहां याचिकाकर्ता ने न केवल लिखित और मौखिक परीक्षा दोनों उत्तीर्ण कीं, एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते उसने भारतीय वायु सेना में 15 साल से अधिक की सेवा की, बल्कि उसकी मैट्रिक की योग्यता ने उसे स्नातक करने वालों के बराबर ला दिया। दिनांक 12.2.1986 की अधिसूचना में किसी स्पष्ट खंड के अभाव में, वर्तमान मामले की पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता को मुख्य रूप से इस आधार पर नियुक्ति से वंचित करना अन्यायपूर्ण हो सकता है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड बी के पद के लिए आवश्यक योग्यता गणित और सांख्यिकी के साथ स्नातक थी। ऐसी परिस्थितियों में, हम प्रत्यर्थी

अधिकारियों के विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्कों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं और हमारे विचार में, अधिकरण द्वारा लिया गया रुख स्वाभाविक रूप से अनुचित है।"

यह निर्देशित किया गया:

“इन परिस्थितियों में, अधिकरण द्वारा पारित दिनांक 15.7.2003 का आदेश रद्द किया जाता है। प्रत्यर्थी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश के संचार की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को डेटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड बी के पद पर समायोजित करें और किसी भी कारण से इसे संभव नहीं बनाया जा सकता है तो वर्तमान याचिकाकर्ता उक्त अवधि के भीतर एक उपयुक्त वैकल्पिक पद पर समायोजित किया जा सकेगा।”

8. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वी. शेखर ने कहा कि जैसा कि विद्वान न्यायाधिकरण ने ठीक ही कहा है कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां पात्रता मानदंड किसी भी स्ट्रीम में स्नातक होना है, उम्मीदवार की आवश्यकता थी कि स्नातक होने के लिए गणित या सांख्यिकी अनिवार्य विषय के रूप में होना चाहिए।

9. यह ऐसा मामला नहीं है जहां तकनीकी या व्यावसायिक प्रकृति का कार्य अनुभव आवश्यक था। यहां तक कि ऐसे मामले में जहां अनुभव गैर-तकनीकी पेशेवर काम में अनुभव था, हालांकि आवश्यक के रूप में निर्धारित किया गया था, फिर भी ऐसे मामले में जहां नियुक्ति प्राधिकारी संतुष्ट है कि पूर्व सैनिक से 'ऑन जॉब ट्रेनिंग' के माध्यम से पद पर अपने कर्तव्यों का पालन करने की उम्मीद की जाती है, संशोधित नियम 6 के उप-नियम 4 के संदर्भ में छोटी अवधि के लिए ऐसी नियुक्ति की जा सकती थी।

10. उच्च न्यायालय ने, इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्देश नहीं दिया कि प्रत्यर्थी को डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड बी के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने देखा कि वह इसके योग्य था। जिस पद के लिए उसने आवेदन जमा करवाया था, उसे उसी पद पर समायोजित किया जाए। उच्च न्यायालय ने आगे मत दिया कि यदि किसी कारण से, उसे डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्त करना संभव नहीं है, तो प्रत्यर्थी को उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर उपयुक्त वैकल्पिक पद पर समायोजित किया जा सकता है। उक्त आदेश का निर्विवाद रूप से अनुपालन नहीं किया गया है।

11. अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष उक्त अवधि के विस्तार के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। दिनांक 31.8.2005 के एक आदेश द्वारा यह निर्देशित किया गया:

> "उक्त आदेश के अनुसार याचिकाकर्ताओं को डेटा एंट्री ऑपरेटर (जीआर.बी.), या किसी अन्य वैकल्पिक उपयुक्त पद पर समायोजित करने के लिए प्रत्यर्थी अधिकारियों को उक्त आदेश द्वारा दिया गया समय तीन माह की अतिरिक्त अवधि के लिए दिनांक से बढ़ाया जाएगा।"

12. 2.1.2006 को या उसके आसपास उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय की सत्यता पर सवाल उठाते हुए इस न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी। अपीलकर्ता ने मामले को तत्काल उठाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।

विशेष अनुमति याचिका के लंबित होने के बावजूद, समय विस्तार के लिए फरवरी 2006 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष फिर से एक आवेदन दायर किया गया था- उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया गया कि अपीलकर्ता के सक्षम प्राधिकारी निश्चित रूप से न्यायालय के पहले के निर्देशों का पालन करेंगे। केवल उक्त अभ्यावेदन के आधार पर, दिनांक 17.1.2006 के एक आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया:

"इस न्यायालय के निर्देश का पालन करने के लिए समय के विस्तार की मांग करते हुए, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा यह स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है कि यदि कुछ समय दिया जाता है तो संबंधित प्राधिकारी निश्चित रूप से याचिकाकर्ताओं को डाटा एंट्री ऑपरेटर्स (ग्रुप 'बी') या किसी अन्य वैकल्पिक उपयुक्त पद पर समायोजित करने के तरीके में पहले के निर्देश का पालन करेंगे। यद्यपि विरोध किया गया, प्रार्थना के अनुसार 31 मार्च, 2006 तक का समय दिया गया है, और यह आशा की जाती है कि न्यायालय को अब और परेशान नहीं होना पड़ेगा और चूक होने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।"

13. उपरोक्त परिस्थितियों में, हमारी राय में, यह उपयुक्त मामला नहीं है जहां इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना चाहिए। अपीलकर्ता ने कहीं भी यह रुख नहीं अपनाया कि कुछ प्रशिक्षण दिए जाने पर भी, प्रत्यर्थी डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम करने में सक्षम नहीं होगा। ऐसा भी उनका मामला नहीं है कि किसी अन्य पद पर कोई रिक्ति नहीं थी। अपीलकर्ता का यह भी कहना नहीं है कि उसने प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल भर्ती आवेदन को सत्यापित करने में कोई गलती की है। उसे न केवल लिखित परीक्षा में

बैठने की अनुमति दी गई बल्कि साक्षात्कार में भी शामिल होने की अनुमति दी गई।

14. हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने के लिए समय विस्तार के लिए आवेदन दाखिल करना अपीलकर्ता के लिए विशेष अनुमति याचिका दायर करने पर रोक नहीं होगी; लेकिन इस मामले में विशेष अनुमति याचिका दायर करने के बावजूद उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया गया था कि प्रत्यर्थी को समायोजित किया जाएगा।

15. अपवादों को ध्यान में रखते हुए, पात्रता खंड और चूंकि पद प्रकृति में गैर-तकनीकी है और इस प्रकार, तकनीकी पक्ष पर कोई अनुभव आवश्यक नहीं था, हमें नहीं लगता कि अपीलकर्ता को उच्च न्यायालय के समक्ष इसके द्वारा दिए गये अभ्यावेदन से बाहर आने की अनुमति दी जानी चाहिए।

हमने यहां 12.2.2006 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आशय पर ध्यान दिया है। सभी आशय और आशय के लिए, उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया गया था कि उसके आदेश का अनुपालन किया जाएगा। किया गया वादा प्रकृति में पूर्ण और स्पष्ट था। इसलिए, हम इसे संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए उचित मामला नहीं मानते हैं।

16. उपरोक्त कारणों से, आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार अपील लागत सहित खारिज की जाती है। वकील की फीस 50,000/- रुपये (केवल पचास हजार रुपये) आंकी गई है।

के.के.टी. अपील खारिज की गई।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी  **विजय प्रताप गोस्वामी (आर.जे.एस.)** द्वारा किया गया है।]

**अस्वीकरण** : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।